न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 53/2017 जिला सीकर

1. झाबर मल
2. देशराज
3. जगपाल सिंह
4. जगदीश प्रसाद
   पुत्रान गणपत
5. औम प्रकाश
6 मनोज कुमार
   पुत्रान मूलचन्द
7. कमला पत्नी मूलचन्द
   समस्त जातियान जाट, निवासी सिरोही, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार नीमकाथाना, जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर दिनांक 11.2.2017

उपस्थित–

1 वकील अपीलान्ट श्री श्याम बाबू पारीक
2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक – 31.01.2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 11.2.2017 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

यह कि ग्रम सिरोही, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 722, 678, 694, 695, 681 एवं 689 के खातेदारों की भूमियों में से होकर रास्ता जाने के कारण नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाते हुये रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने बाबत प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना ने पत्र क्रमांकः 339 /भू.अ./17 दिनांक 25.1.17 के साथ रिपोर्ट पटवारी, नजरी नक्शा एवं जमाबन्दी की प्रति संलग्न् कर उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना को प्रेषित की गई । इस पर उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.2.2017 पारित कर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 व 66 के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावित रास्ते को गैरमुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के ओदश दिये गये ।

उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना के उक्त आदेश दिनांक 11.2.2017 के खिलाफ अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील दिनांक 27.11.17 को मियाद अधिनियम की धारा 5 एवं धारा 96 सी.पी.सी.के प्रार्थना पत्रों के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त करने तथा गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आधार पर संबंधित पटवारी व गिरदावर पर कार्यवाही करने की आज्ञा प्रदान करने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नक्शे में आराजी खसरा नम्बर 722, 678, की दक्षिणी सीमा में एवं खसरा नम्बर 681, 684 , 685 व 686 मे मध्य में रास्ता अंकित रहा है जो वर्षो से है । ऐसी स्थिति में बिना कोई मौके पर रास्ते के रास्ता दर्ज करने की आज्ञा उप खण्ड अधिकारी द्वारा पारित करने में गम्भीर कानूनी भूल की है । उनका कहना था कि

अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि का मौका देखे बिना ही रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया है , जो त्रुटिपूर्ण एवं विधि विरूद्ध है । अधीनस्थ न्यायालय ने जिन नियमों/ धाराओं के तहत अपीलाधीन आदेश पारित किया है उनके प्रावधान प्रस्तुत प्रकरण में लागू नहीं होते । उनका कहना था कि कुछ अनाधिकृत व्यक्तियों ने तहसीलदार को नक्शे में अंकित रास्ते को खुलवाने का आवेदन पत्र दिया था जिस पर तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी हल्का मोके पर गये थे ओर अपनी रिपोर्ट में रास्ता न होना व रास्ता अन्यंत्र होना व डामरीकरण होना माना था । खसरा नम्बर 621, 622, 678 की दक्षिणी सीमा से 681, 686, 598 में पक्की डामर की सडक होना व जालसाजी कर खसरा नम्बर 722/2, 678/2, 694/2, 681/2, 689/2 से होकर रास्ता बनाना माना एवं रास्ता पूर्व से डोटेड लाईन से ओर उक्त रास्ते को शिकायतकर्ताओं द्वारा बन्द करना एवं रास्ते को अनुचित व शिकायत भूमि मानी थी । अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार की रिपोर्ट को अकाट्य प्रमाण मानकर प्रश्नगत भूमि में गैरमुमकीन रास्ता कायम करने बाबत पारित अपीलाधीन आदेश प्रकरण के तथ्यों के विपरीत , विधिविरूद्ध व न्याय के सहज एवं प्राकृतिक नियमों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्रम सिरोही, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 722, 678, 694, 695, 681 एवं 689 के खातेदारों की भूमियों में से होकर रास्ता जाने के कारण नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाते हुये रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने बाबत प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना ने पत्र क्रमांकः 339 /भू.अ./17 दिनांक 25.1.17 के साथ रिपोर्ट पटवारी, नजरी नक्शा एवं जमाबन्दी की प्रति संलग्न् कर उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना को प्रेषित की थी जिस पर उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.2.2017 पारित कर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 व 66 के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावित रास्ते को गैरमुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के ओदश दिये गये हैं । उनका कहना था कि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है , जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

मैंने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि में से गैरमुमकीन रास्ता कायम करने के संबंध में है । ग्रम सिरोही, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 722, 678, 694, 695, 681 एवं 689 के खातेदारों की भूमियों में से होकर रास्ता जाने के कारण नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाते हुये रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने बाबत तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.2.2017 पारित कर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 व 66 के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावित रास्ते को गैरमुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के ओदश दिये है । तहसीलदार द्वारा उप खण्ड अधिकारी को प्रेषित ग्रम सिरोही की जमाबन्दी के अनुसार गैर मुमकीन रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 678 व 694 के खातेदार अपीलान्ट्स झाबरमल, देशराज, जगमाल सिंह, जगदीश प्रसाद, कमला , औमप्रकाश, मनोज कुमार हैं , जो प्रभावित पक्षकार हैं जिन्हें अपने हितों के लिये अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है । अपीलान्टस को अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया जिससे अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश का ज्ञान समय पर नहीं होना स्वभावित है । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जाती है एवं धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपनाते हुये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलम्ब को क्षमा किया जाता है ।अपील के साथ प्रस्तुत नक्शा एवं फर्द मौका रिपोर्ट ग्रम सिरोही दिनांक 13.10.17 के अनुसार चला–नीमकाथाना सडक पर सिरोही नदी से उत्तर पश्चिम की ओर ढाणी कालाखेत की तरफ पक्की डामर रोड बनी हुई है जो मौके पर सुचारू रूप से चालू है । ढाणी कालाखेत में परिवादी भोलाराम कस्वा, विमल कुमार कस्वा, अनिल कस्वा के माकनात ख.नं. 682 में बने हुये हैं । उक्त परिवादियों ने जालसाजी कहरके अवैध रूप से खसरा

नम्बर 722/2, 678/2, 694/2, 681/2, 689/2 से होकर रास्ता (रास्ते संबंधी समस्याओं के निराकरण अभियान 2016) के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में कटवा लिया जबकि परिवादियों की स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 686 से होकर पक्की डामर सडक बनी हुई है जहॉ से होकर शिकायतकर्ता आवागमन कर सकते हैं तथा भू प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार राजस्व नक्शे में पूर्व से ही परिवारियों के आवासीय मकानों तक आने जाने के लिए पूर्व से ही रास्ता डोटेड से कटा हुआ है जो मौके पर परिवादियें ने बंद कर नया रास्ता कटवाया है जो अनुचित है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि प्रकरण में अपील के साथ प्रस्तुत नक्शा एवं फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता पूर्व से चालू था एवं नक्शे में डोटेड लाईन से दर्शाया हुआ था। जिस भूमि में से गैरमुमकीन रास्ता कायम किया है उसके खसरा नम्बर 678 एवं 694 की आराजी के खातेदार अपीलान्ट्स है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से पुनः गैरमुमकीन रास्ता कायम करने से पूर्व खातेदारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में खातेदार अपीलान्ट्स को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करना न्यायिक रूप से आवश्यक था । किसी भी हितबद्ध व्यक्ति को बिना सुने उसके अधिकारों के विपरीत पारित आदेश को उचित एवं विधिक नहीं ठहराया जा सकता । अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में अपीलान्ट्स को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रवधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर को प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर दिनांक 11.2.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अपीलान्ट्स को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर